



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आषाढ़ 1939 (श०)

(सं० पटना 564) पटना, वृहस्पतिवार, 29 जून 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

29 जून 2017

एस०ओ० 105 दिनांक 29 जून 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा-10 की उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, निर्दिष्ट करते हैं कि ऐसा कोई पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पचहत्तर लाख रुपए से अधिक नहीं है, उसके द्वारा संदेय राज्य कर के बदले में, निम्नलिखित की दर पर संगणित रकम का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा,—

- (i) किसी विनिर्माता के मामले में राज्य में आवर्त का एक प्रतिशत ;
- (ii) उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने में लगे हुए व्यक्तियों के मामलों में राज्य में आवर्त का ढाई प्रतिशत ; और
- (iii) अन्य प्रदायकर्ताओं के मामले में राज्य में आवर्त का आधा प्रतिशत :

परंतु यह कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा-10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रशमन उद्ग्रहण के लिए विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे माल का विनिर्माता है, जिसका वर्णन नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है :—

सारणी		
क्र.सं.	टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय	वर्णन
(1)	(2)	(3)
1	2105 00 00	आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे उसमें कोका मिला है या नहीं
2	2106 90 20	पान मसाला
3	24	सभी माल, अर्थात् तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकू अनुकल्प

स्पष्टीकरण -

- (1) इस सारणी में, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।
 - (2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।
2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-13/2017-2208]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

29 जून 2017

एस०ओ० 106, एस०ओ० 105 दिनांक 29 जून 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-13/2017-2208)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 29th June 2017

S.O.105 dated 29th June 2017— In exercise of the powers conferred under the proviso to sub-section (1) of section 10 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, is pleased to specify that an eligible registered person, whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed seventy five lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the State tax payable by him, an amount calculated at the rate of,—

- (i) one per cent. of the turnover in State in case of a manufacturer,
- (ii) two and a half per cent. of the turnover in State in case of persons engaged in making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II of the said Act, and
- (iii) half per cent. of the turnover in State in case of other suppliers:

Provided that the registered person shall not be eligible to opt for composition levy under sub-section (1) of section 10 of the said Act if such person is a manufacturer of the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table:-

TABLE

S. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description
(1)	(2)	(3)
1.	2105 00 00	Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa.
2.	2106 90 20	Pan masala
3.	24	All goods, i.e. Tobacco and manufactured tobacco substitutes

Explanation. –

- (1) In this Table, “tariff item”, “sub-heading”, “heading” and “chapter” shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).
- (2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.
2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.
[(No. Bikri-kar/GST/Vividh-13/2017-2208)]

By order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Commissioner-cum-Principal Secretary
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 564+571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>